न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/7135/2006/सिरोही

लखमा राम पुत्र धुला जी, जाति रावल, निवासी सारणेश्वर जी, तहसील व जिला सिरोही।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

..... रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 13.03.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण अपील संख्या 89/2004 शीर्षक लखमा राम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2006 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम सारणेश्वर जी स्थित आराजी खसरा नम्बर 159/1/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पर वादी का करीब 50 वर्षों से सम्वत् 2012 से पूर्व से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 159/1/3 का पहले खसरा नम्बर 159 था जिसमें से 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन कर शंकर व लखमाराम के नाम खातेदारी प्रदान की गई जब कि मौके पर कब्जा उक्त भूमि के अलावा 3 बीघा 13 बिस्वा पर वादी का अकेले का कब्जा होने के बाबजूद आवंटन कर खातेदारी प्रदान नहीं की गई है। दिनांक 12–8–1996 को वादी के पक्ष में पुराना कब्जा मानते हुये नियमन हेतु सिफारिश की गई थी। वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 159/1/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पर खातेदारी घोषणा हेतु वादपत्र में अनुतोष चाहा गया। सहायक कलक्टर, सिरोही ने निर्णय दिनांक 30–7–2004 से वादी का वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा निर्णय दिनांक 18–07–2006 से अपील खारिज की गई है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत जाते हुये निर्णय दिनांक 31–7–2004 पारित किया है और इस निर्णय की पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी भूल की है। हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 159/1/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पर सम्वत् 2012 से पूर्व से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 12–8–1986 को उक्त आराजी पर पुराना कब्जा मानते हुए नियमन की सिफारिश की थी। इससे हमारे पुराने कब्जे की बखूबी पुष्टि होती है। गिरदावरी में कभी अपीलार्थी का नाम व कभी अपीलार्थी के भाई का नाम दर्ज किया गया है, इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी के भाई का करा दिया गया हो। हमारे द्वारा अपने पुराने कब्जे को साबित करने के लिए राजस्व रिकार्ड के अलावा मौखिक साक्ष्य में पी0ड0 1 लखमाराम, पी0ड0 2 हंसाराम, पी0ड0 3 अन्नाराम के बयान भी कराए हैं। प्रस्तुत की गई खसरा परिवर्तनशील व मौखिक साक्ष्य से वादी का पुराना कब्जा बखूबी साबित होता है और वादी का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री किए जाने योग्य रहा है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए, अपील अपीलार्थी स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया जाए।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक रुप से वादी के वाद को खारिज किया है, और प्रथम अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को अस्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर वादी का सम्वत् 2012 से निरंतर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। प्रश्नगत भूमि पर पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने भी स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/हस्तगत अपील के अपीलार्थी की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है वह मुख्यतया इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 159/1/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पर वादी का करीब 50 वर्षों से सम्वत् 2012 से पूर्व से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी/अपीलार्थी की प्लीडिंग प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने की रही है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी

द्वारा वादपत्र के समर्थन में जो खसरा परिवर्तनशील की नकलें प्रस्तुत की हैं उनमें खसरा नम्बर 159 पर कुछ वर्षो में वादी के भाई शंकरलाल व कुछ वर्षो में वादी लखमाराम के काश्त के अंकन हैं। डी0ड0 1 में हल्का पटवारी द्वारा जो बयान दिये हैं उनमें भी जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि प्रश्नगत आराजी पर वादी लखमाराम का कब्जा काश्त रहा हो। स्पष्ट है कि सम्वत् 2012 से वादी का निर्बाध कब्जा काश्त साबित होने के समर्थन किसी प्रकार का राजस्व दस्तावेजात नहीं है। इसके अलावा जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का सम्बन्ध है तो अधिनियम, 1955 के तृतीय अनुच्छेद में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर0 आर0 टी0 2011(2) पेज 721 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के सम्बन्ध में इस प्रकार से मंतव्य व्यक्त किया हैः–

> In the of this bench the the judgment of Larger Bench in 'Bagga vs. Surendra singh' as reported in RRD 1991 page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा आर आर टी 2011(2) पेज 721 में दी गई व्यवस्था के अनुसरण में वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये निर्णय पारित किए हैं और न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (14) 2007 पेज 35 राज0 उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज 725 में दिए मतानुसार द्वितीय अपील के स्तर पर समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित कार्यवाही नहीं है। फलतः प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष